श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी–4,कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र,
नई दिल्ली–110016

क्रमांक. एफ 1(31) / ला.ब.शा.रा.सं.वि. / प्रशासन– I / 2022–23 / 17 दिनांक 31.03.2023

अधिसूचना

विश्वविद्यालय में कार्यरत अध्यापकों द्वारा अर्जित अवकाश, कम्युटिड अवकाश एवं कर्तव्य अवकाश का उपभोग करने के पश्चात् कार्यालय में अवकाश की सूचना दी जाती है, किन्तु यह उचित नहीं है। अवकाश हेतु विश्वविद्यालय के निम्नलिखित नियम हैः–

1. अर्जित अवकाश की पूर्व स्वीकृति–पत्र मांगी गई अवकाश तिथि से एक सप्ताह पूर्व नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी / सिफारिश सहित कार्यालय में प्रेषित करना अनिवार्य है तथा अवकाश स्वीकृति की सूचना प्राप्त करने के पश्चात् ही अवकाश का उपभोग किया जाना नियमानुकूल स्वीकार्य किया जायेगा। यदि किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी द्वारा अवकाश संबंधी नियमों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो बिना किसी पूर्व सूचना के संबंधित दिवस / दिवसों को अनधिकृत अनुपस्थिति स्वीकार्य किया जायेगा।

2. कम्युटिड अवकाश की पूर्व सूचना कार्यालय में देना अनिवार्य है।

3. कर्त्तव्यावकाश की पूर्व स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र के सभी कॉलम को पूरित करना अनिवार्य है तथा आमंत्रित की गई संस्था द्वारा प्रेषित मूल आमंत्रण पत्र एवं संबंधित विभागाध्यक्ष तथा पीठाध्यक्ष की टिप्पणी / सिफारिश सहित 10 दिन पूर्व कार्यालय में प्रेषित करना आवश्यक है तथा अवकाश स्वीकृत की सूचना प्राप्त करने के पश्चात् ही अवकाश का उपभोग किया जाना नियमानुकूल स्वीकार्य किया जायेगा। यदि किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी द्वारा अवकाश संबंधी नियमों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो बिना किसी पूर्व सूचना के संबंधित दिवस / दिवसों को अनधिकृत अनुपस्थिति स्वीकार्य किया जायेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

4. कार्य समापन के पश्चात् अपने पीठ प्रमुख / विभागाध्यक्ष एवं नियंत्रण अधिकारी द्वारा टिप्पणी / सिफारिश सहित कार्य संबंधित रिपोर्ट तथा कार्यभारग्रहण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

अतः विश्वविद्यालय के समस्त अध्यापकों से अग्रह है कि उपर्युक्त नियमों तथा अवकाश आवेदन पत्र के पूर्व पृष्ट पर अंकित नियमों का पालन करते हुए अवकाश का उपभोग करें।

यह अधिसूचना सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार निर्गत की जा रही है।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन– I)

प्रतिलिपि :–

1. विश्वविद्यालय के समस्त अध्यापकगण
2. कुलपति / कुलसचिव एवं वित्ताधिकारी के निजी सचिव
3. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित है कि वे इस अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था करें तथा समस्त अध्यापकगण को व्हाट्सएप्प के माध्यम से सूचित करें।
4. संबंधित पंजिका

भारती त्रिपाठी

सहायक कुलसचिव (प्रशासन– I)

for n.a. pls
Sh. Sachin
11/04/2023